भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज़ नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग, सेक्टर 31 ए
चण्डीगढ़-160030

मिसिल संख्या -: **9-PBC516/2014-CHA** दिनांक : गुरुवार, 5 मार्च 2015

सेवा में ,

प्रधान सचिव (वन),
पंजाब सरकार, वन विभाग,
लधु सचिवालय, सेक्टर-9,
चण्डीगढ ।

विषयः- **Diversion of 6.4245 hectare (3.072 ha + 1.494 ha+ 0.874 ha + 0.9845 ha) of forest land in favour of Power Grid Corporation of India Ltd. for 400 KV D/c Jalandhar-Kurukshetra Transmission line under Forest Division and District Jalandhar, Patiala, Ludhiana, S.A.S Nagar in District Fatehgarh Sahib, respectively, Punjab**

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से संम्बन्धित आपके पत्र संख्या FCA/1980/253-2013/34-49-90/2014/2057 दिनांक 25.06.2014 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ. सी.) व नोडल ऑफिसर (एफ.सी.ए.), पंजाब सरकार के पत्र संख्या FCA/1980/253-2013/34-49-90/2014/3190 दिनांक 26.02.2015 की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है ।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु **6.4245** हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है-:

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
ii. प्रयोक्ता एजेंसी उपयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर मौजूद ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की कटाई को बचाने का प्रयास करेगी | यदि अपरिहार्य है तो काटने वाले पेड़ों की संख्या 1417 (514 जालन्धर में +314 लुधियाना में +414 पटियाला में + व 175 एस० ए० एस० नगर में) व जालन्धर में पोलों कि संख्या 130 व पौधों की संख्या 761(471 जालन्धर में +60 लुधियाना में + 230 एस० ए० एस० नगर में) से अधिक नहीं होगी |
iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **रिज़र्व फारेस्ट C.N. 10,11,12 तहसील लुधियाना, खन्ना डिस्ट्रीबुटेरी आर डी 0-33 B/s, तहसील खमनो एस० ए० एस० नगर, बीर भोरे अगौल जिला पटियाला व अवकुए लैंड फारेस्ट ऑफ़ बीर गिल, सुल्तान पुर लोधी, C.N. 2, जिला जालन्धर** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त **55,96,633/-**रूपये (पचपन लाख छियानवे हजार छः सौ तैतीस केवल) की राशि से **15.881** हैक्टयर क्षेत्र में पौधे लगाकर किया जायेगा। **प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।**
iv. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।
v. प्रस्तावित संचरण लाइन के लिए "रास्ते के अधिकार" की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि पर **46** मीटर होगी |
vi. प्रत्येक कंडक्टर के नीचे टेंशन सटरिंगिंग उपकरण लगाने के लिए **5.0** मीटर की चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति दी जायेगी | परन्तु सटरिंगिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया जायेगा |
vii. कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम **5.5** मीटर होना चाहिए | कन्डक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा | बिजली की निकासी बनाये रखने के लिये जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा |
viii. प्रयोक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउंड क्लीयरेंस के अलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी |
ix. यदि संचरण लाइन का बनाये जाने वाला हिस्सा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ पर पर्याप्त निकासी पहले ही मौजूद है, वहां पर पेड़ नहीं काटे जायेंगे |
x. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य वन विभाग से विचार-विमर्श करके संचरण लाइन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधिय पौधों के रोपण, सृजन व रख-रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निष्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धन राशि उपलब्ध करायेगी |

कृ० पृ० उ०....

xi. जब कभी भी NPV की राशी बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

xii. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

xiii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xiv. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xv. प्रति पूर्ति पौधा रोपण प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त धन राशि से एक वर्ष के भीतर होना चाहिए |

xvi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए की इस परियोजना के कारण, इस क्षेत्र में उपस्थित वनस्पतियों और प्राणी समूह को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए |

xvii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा |

xviii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशी उपलब्ध करायी जायेगी |

xix. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके |

xx. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समहू के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी |

xxi. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम-1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

xxii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी | प्रत्येक खम्बें पर क्रम संख्या, डी०जी०पी०एस०निर्देशांक तथा एक खम्बें से दूसरे खम्बें की दूरी आगे तथा पीछे लिखी जायेगी |

xxiii. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xxiv. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के हेतू समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xxv. प्रयोक्ता एजेंसी उपरोक्त शर्तो की वार्षिक स्व-अनुपालना रिपोर्ट राज्य सरकार तथा इस क्षेत्रीय कार्यालय को नियमित रूप से भेजेगी |

xxvi. पेड़ों की कटाई राज्य वन विभाग के कड़े पर्यवेक्षण के अधीन होनी चाहिए |

xxvii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी |

xxviii. सक्षम प्राधिकारी अनुमति को रद्द कर सकता है, यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का पालन संतोषप्रद नहीं है | राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से उपरोक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी |

4. मत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। ***राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।***

भवदीय्

(ईश्वर सिंह)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन ,मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली |
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, फोरेस्ट कॉम्पलैक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब।
3. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल फतेहगढ़ साहिब और जिला जालंधर, पटियाला, लुधियाना, S.A.S नगर, पंजाब |
4. बी०एस०सैनी, प्रबंधक (टी०एल०एस०सी०) पॉवर ग्रिड लुधियाना, पंजाब |